न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा (अ. नि.) प्रकरण बारां, जिला–बारां(राज0)

सेशन प्रकरण संख्या 114/2016 (सी.आई.एस. नंब. 112/2016)

बउनवान राज्य बनाम नरेन्द्र सिंह उर्फ वकीला वगै0

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
07.02.2026	विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण हरीश शर्मा, हरिराम, राजकुमार, राजाराम व भीमसिंह अनुपस्थित। अभियुक्तगण के अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता पृथक–पृथक हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत हुए जो आज के लिए स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिलायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में मृतक दीवारीलाल की असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं नष्ट हो गयी है या गुम हो गयी है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। अतः धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी किशनगंज द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति प्रदान करें। मेडीकल ज्यूरिष्ट को परीक्षित करवाने का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जावेगा। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रकरण में पोस्टमार्टम से संबंधित दो चिकित्सकों के बयान न्यायालय में लेखबद्ध हो चुके हैं और उनसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करवायी गयी है। अब द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोप्रति को प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकता। थानाधिकारी श्योपुर द्वारा बिना मूल रिपोर्ट से मिलान के उक्त फोटोप्रति को प्रमाणित कर प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त फोटोप्रति या प्रमाणित प्रति चार्जशीट के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अब उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। अभियोजन की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त असल दस्तावेज कहां व किस प्रकार से गुम हुआ है तथा इसकी फोटोप्रति किस प्रकार से मूल से करवायी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस विशिष्ठ लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मौखिक रूप से दोहराया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में	

7/2/26 विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा. / ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बाराँ (राज.)

अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण धारा 304, 201, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है। ऐसी स्थिति में मृतक दीवारीलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य होना प्रकट हो रहा है। प्रकरण में असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं हुई है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस जाहिर किया गया है कि पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नष्ट हो जाना या गुम हो जाना बताया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(ग) के प्रावधान के अनुसार जब मूल नष्ट हो गया है या खो गया है तो उस स्थिति में द्वित्तीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। विशिष्ठ लोक अभियोजक की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज द्वारा सत्यापित पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(2) में उल्लेखित अनुसार द्वित्तीयक साक्ष्य की श्रेणी में आती है। जहां तक अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल दस्तावेज कहां व किस प्रकार गुम हुआ तथा इसकी फोटोप्रति किस प्रकार मूल से करवायी गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रमाणित प्रति की विश्वसनीयता पर पश्न उठाया है, किंतु इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए मेडीकल ज्यूरिष्ट को साक्ष्य में बुलाने के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र पेश करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज की विश्वसनीयता के संबंध में अभियुक्तगण को संबंधित मेडीकल ज्यूरिष्ट से जिरह करने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु इस स्टेज पर जहां पत्रावली पर असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नष्ट या गुम हो जाना बताया है तथा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश की है तो उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा मृतक दीवारीलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यप्रति को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया।

7/2/26

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला-बारां (राज.)

Number of Case ....

..........राज.......... Versus ....नरेन्द्रसिंह..........

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
7-5-21	लगातार --- PP श्री [illegible] से [illegible] ।। [illegible] का प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] गर्ग हो पुनः [illegible] अशोक कुमार गर्ग हो पुनः परीक्षित करने का आवेदन है पुनः [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] है की गयी है अवि० [illegible] पत्रावली [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] वास्ते [illegible] है प्रकरण 11-2-2021 है [signature] विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा. / ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां (राज.)	